भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 395

दिनांक 03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय / प्रोत्साहन राशि

395. श्री अनुभव मोहंती:
श्री घनश्याम सिंह लोधीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नामांकित आशा कार्यकर्ताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी संख्या है;

(ख) आशा कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे मानदेय / प्रोत्साहन राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं की नौकरी की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय/प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बढ़े हुए मानदेय/प्रोत्साहन राशि को कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या आशा कार्यकर्ताओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट (30.09.2022 की स्थिति के अनुसार), गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

(ख) से (च): आशा की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में की गई है और वे केवल कार्य/कार्यकलाप आधारित प्रोत्साहनों की हकदार होती हैं। देश में आशाकर्मियों को नियमित और आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000/-रुपये प्रति मास का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है । सरकार ने सितंबर, 2022 में आशा के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को

मंजूरी दी है। आशाकर्मियों को दिए जाने वाले इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट के यूनिफोर्म रिर्सोसेज लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है जो इस प्रकार है https://nhm.gov.in/New_Update-2022-23/communization/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-Incentives.pdf राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में भी आशा को कई प्रकार के मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लचीलापन दिया गया है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के बाद, आशा अब निगरानी प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए भी पात्र हैं। (प्रति माह 1000 रुपये तक)।

वर्ष 2018 में, आशा के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज पेश किया गया था। पैकेज में इसके लिए निम्नलिखित कवरेज प्रदान की गई है:

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रु. के लाभ के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

- आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2.00 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपए के लाभ के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई); (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अलावा, 60 वर्ष की आयु के बाद 3000/- रुपए प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और लाभार्थियों द्वारा 50%) भी आशा कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।

सरकार ने उन आशा कर्मियों को उनके योगदान की सराहना के तौर पर 20,000/- रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र देने को भी मंजूरी दी है जिन्होने न्यूनतम 10 वर्ष आशा कर्मी के रूप में काम किया हो।

केंद्र सरकार ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" की घोषणा की है, जिसके तहत आशा सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना में अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोविड-19 संबंधी ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के मामले में 50.00 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम ओ डब्ल्यु सीडी)) से प्राप्त जानकारी के अनुसार जहां तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संबंध है:

- केंद्र सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कामकाज में सुधार के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी करती है और राज्यों के दौरे के दौरान जब भी कोई कमियां पाई जाती हैं, तो कमियों को दूर करने और योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उन्हें पत्रों और

समीक्षा बैठकों के माध्यम से हल किया जाता है। हाल ही में, नीति आयोग के तहत विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)) ने आंगनवाड़ी सेवाओं सहित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का क्षेत्रीय मूल्यांकन किया।

- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) / आंगनवाड़ी सहायिका (ए डब्ल्यूएच)** मानद कर्मचारी हैं और उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात पर सरकार द्वारा तय मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने 01.10.2018 को मुख्य-आंगनवाड़ी केंद्रों (एअडब्ल्यू सी) में **एडब्ल्यूडब्ल्यू** के मानदेय को 3,000/-रू. से बढ़ाकर 4,500/-रू. प्रति माह ; मिनी- आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में **एडब्ल्यूडब्ल्यू** को 2,250/-रू. से बढाकर 3,500/-रू. प्रति माह; ए डब्ल्यू एच को 1,500/-रू. से बढाकर 2,250/-रू. प्रति माह कर दिया है।

- इसके अलावा, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन के रूप में एडब्ल्यू एच को 250/-रू. प्रति माह और **एडब्ल्यूडब्ल्यू** को 500/-रू. प्रति माह का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन कार्यकर्ताओं को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय भी देते हैं।

*****

अनुलग्नक- I

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशा का विवरण		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आशा की संख्या**
1	बिहार	93812
2	छत्तीसगढ	72007
3	हिमाचल प्रदेश	7964
4	जम्मू और कश्मीर	12686
5	झारखंड	47291
6	मध्य प्रदेश	83371
7	ओडिशा	49027
8	राजस्थान	53598
9	उत्तर प्रदेश	167899
10	उत्तराखंड	12018
1 1	अरुणाचल प्रदेश	4143
12	असम	32670
13	मणिपुर	4114
14	मेघालय	7079
15	मिजोरम	1091
16	नगालैंड	2038
17	सिक्किम	676
18	त्रिपुरा	7663
19	आंध्र प्रदेश	43767
20	गुजरात	49825
21	हरियाणा	24005
22	कर्नाटक	41318
23	केरल	26448
24	महाराष्ट्र	69453
25	पंजाब	20139
26	तमिलनाडु	5647
27	तेलंगाना	32854
28	पश्चिम बंगाल	67053
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	422
30	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	715
31	दिल्ली	8958
32	लद्दाख	608
33	लक्षद्वीप	110
34	पुद्दुचेरी	315
	कुल	**1050784**

नोट: आशा कार्यकर्ता गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद हैं।
स्रोत: एनएचएम -एमआईएस 30 सितंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार।

अनुलग्नक-II

आशाकर्मियों को प्रदान किए गए मौद्रिक प्रोत्साहनों का राज्य-वार विवरण

क्र .सं.	राज्यों के नाम	राज्य निधि से आशाकर्मियों के लिए राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन
1	आंध्र प्रदेश	10,000 रुपये आशाकर्मी के कुल प्रोत्साहन से/प्रतिमाह/पूरा करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है
2	अरुणाचल प्रदेश	100% टॉपअप-, त्रैमासिक संवितरण की आवृत्ति
3	असम	वित्त वर्ष 2018-आशाकर्मी/पीएम/.रु 1000 से 2019
4	बिहार	टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन आदि से संबंधित परिभाषित संकेतकों के लिए 1000/पीएम(छह परिभाषित संकेतकों में से कोई चार संकेतक अर्जित करने के लिए) आशा/
5	छत्तीसगढ़	75%- वार्षिक आधार पर टॉपअप के रूप में एक आशाकर्मी द्वारा अर्जित उपरोक्त प्रोत्साहनों पर प्रोत्साहन की - राशि
6	दिल्ली	कार्यशील आशाकर्मी के लिए प्रमुख कायों के 12 आशाकर्मी द्वारा किए जाने वाले) आशाकर्मी/प्रतिमाह/.रु 3000 लिए
7	गुजरात	50% टॉप त्रैमासिक संवितरण की आवृत्ति का प्रावधान - अप-
8	हरियाणा	4000 रु आशाकर्मी और/प्रतिमाह/.50% टॉप .और रु (नियमित आवर्ती प्रोत्साहन को छोड़कर) अप-450/- अतिरिक्त 05 प्रमुख आरसीएच गतिविधियों के निष्पादन के साथ जुड़ा हुआ है
9	हिमाचल प्रदेश	2750 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह/.
10	केरल	आशाकर्मी/प्रतिमाह / .रु 6000
11	कर्नाटक	आशाकर्मी/प्रतिमाह / .रु 5000
12	मणिपुर	राज्य वित्त वर्ष 2021-1000 द्वारा हाल ही में घोषित 22/ रु. प्रति माहतरीकों को -भुगतान के तौर - आशाकर्मी/ अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है
13	मध्य प्रदेश	07 निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए 100% (जेएसवाई, एचबीएनसी, एलबीडब्ल्यू और एसएनसीयू फॉलोअप-, एनीमिक पीडब्लू के आयरन सुक्रोज फॉलोअप-, पीडब्लू का प्रारंभिक पंजीकरण, संपूर्ण प्रतिरक्षण
14	मेघालय	2000 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह /.
15	महाराष्ट्र	वित्त वर्ष 2021-.से रु 223500आशाकर्मी/प्रतिमाह /
16	ओडिशा	1 अप्रैल, 2018 को राज्य निधि से रु.1000 / प्रतिमाह आशाकर्मी/प्रोत्साहन शुरू किया गया
17	पंजाब	2500 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह / .
18	राजस्थान	3564 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह / .
19	सिक्किम	6000 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह / .
20	त्रिपुरा	08 निर्दिष्ट कार्यों के लिए 100% टॉप अप और अन्य कार्यकलापों के आधार पर-33.33% टॉपअप प्रदान - करता है।
21	तेलंगाना	7500रु प्रतिमाह के कुल प्रोत्साहन से/ .पूरा करने के लिए शेष राशि प्रदान करता है।
22	उत्तराखंड	5000 /रु. वर्ष और 10% टॉप अप के साथ-3000 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह / .
23	उत्तर प्रदेश	संबंधित माह में आशाकर्मी को भुगतान किए जाने वाले नियमित प्रोत्साहन के अनुपात से जुड़े 1500 /प्रतिमाह/.रुआशाकर्मी
24	पश्चिम बंगाल	4500 रुआशाकर्मी/प्रतिमाह /.